

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1487 /2021

दिनांक 03.07.2021

श्री मान सिंह चूण्डावत (RJ1013), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोक को दिनांक 22.04.2021 से 05.05.2021 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 21.04.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चूण्डावत की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की गई।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोक के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/01/2016/4234

दिनांक 03.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोक को उनके पत्रांक 197 दिनांक 21.05.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्री मान सिंह चूण्डावत (RJ1013), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोक।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोक।

सहायक रजिस्ट्रार